क्रम-संख्या–233

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी० / 91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026

श्रावण 2, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग–2

संख्या 283 / ग्यारह-2–26-9(47) / 17-टी0सी0-305-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (374)-2026
लखनऊ, 24 जुलाई, 2026

———

अधिसूचना

प0आ0–445

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 112 की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या 97/XI–2–26–9(47) / 17–टी0सी0–302–यू0पी0 एक्ट–1–2017–आदेश (371)–2026, दिनांक 28 फरवरी, 2026 का उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करके जो, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी हो या किए जाने हेतु लोपित हो, राज्यपाल, एतद्द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर 31 जुलाई, 2026 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित करती है, जिस तारीख तक, यथास्थिति, अपील या आवेदन, इस अधिनियम के अधीन अपीलीय अधिकरण के समक्ष उन सभी मामलों, जिनमें आदेश के खिलाफ अपील किया जाना अपेक्षित है, के सम्बंध में दाखिल किया जा सकता है, जिन आदेशों को,–

(i) दिनांक 1 मई, 2026 से पहले अपील करने वाले व्यक्ति को सूचित किया जाता है, और दिनांक 1 मई, 2026 को या उसके बाद सूचित आदेशों के सम्बंध में सभी अपीलें धारा 112 की उपधारा (1) में दिए गए अनुसार जिस तारीख को सूचित किया जाता है, उस तारीख के तीन माह के भीतर अपीलीय अधिकरण के समक्ष दाखिल की जा सकेंगी;

(ii) दिनांक 1 फरवरी, 2026 से पहले पारित किया जाता है, और 1 फरवरी, 2026 को या उसके बाद पारित आदेशों के सम्बंध में सभी आवेदन धारा 112 की उपधारा (3) में दिए गए अनुसार अपीलीय अधिकरण के समक्ष उस तारीख से छह महीने के भीतर दाखिल किए जा सकेंगे जिस दिन उक्त आदेश पारित किया गया है।

आज्ञा से,

कामिनी चौहान रतन,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 283 / XI-2–26-9(47)-17-T.C.-305-U.P.Act-1-2017-Order(374)-2026, dated July 24, 2026 :

No. 283 / XI-2–26-9(47)/17-T.C.-305-U.P.Act-1-2017-Order(374)-2026

Dated Lucknow, July 24, 2026

IN exercise of the powers conferred by sub-section (1) *read* with sub-section (3) of Section 112 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) and in supersession of Notification no. 97/XI-2-26-9(47)/17-T.C.-302-U.P.Act-1-2017-Order-(371)-2026 dated February 28, 2026, except as respects things done or *omitted* to be done before such supersession, the Governor, on the recommendations of the Council, hereby notifies the 31st day of July, 2026, as the date upto which appeal or application, as the case may be, may be filed before the Appellate Tribunal under this Act in respect of all cases where the order sought to be appealed against, –

(i) is communicated to the person preferring the appeal before the 1st day of May, 2026 and all appeals in respect of order communicated on or after 1st May, 2026, may be filed before the Appellate Tribunal as provided in sub-section (1) of Section 112 within three months from the date on which such order is communicated;

(ii) is passed before the 1st day of February, 2026 and all applications in respect of orders passed on or after 1st February, 2026 may be filed before the Appellate Tribunal as provided in sub-section (3) of Section 112 within six months from the date on which the said order has been passed.

By order,
KAMINI CHAUHAN RATAN,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 442 राजपत्र–2026–(960)–599 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सा0 राज्य कर–2026–(961) 1000 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।